



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2330]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2010/कार्तिक 18, 1932

No. 2330]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2010/KARTIKA 18, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

का.आ. 2758(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से विचार-विमर्श करने के बाद एतद्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2953 (अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

आदेश के खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) में "360 दिन" अंक व शब्द को "540 दिन" अंक व शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 16(72)/2005-एल आर]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में 19 नवम्बर, 2009 के का.आ. 2953 (अ) तथा इसके बाद संशोधित दिनांक 11 मई, 2010 के का.आ. 1057 (अ) द्वारा जारी की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2010

S.O. 2758(E).—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No. S.O. 2953(E), dated the 19th November, 2009, namely :—

In sub-clause (2) of Clause 1 of the Order, for the figures and word "360 days" the figures and word "540 days" shall be substituted.

[F.No.16(72)/2005-LR]

RENU SHARMA, Jt. Secy.

Note :—The Principal notification was issued in the Gazette of India (Extraordinary) vide S.O. 2953(E) dated the 19th November 2009 and subsequently amended vide S.O. 1057(E) dated 11th May, 2010.